# अब कम जमीन पर ज्यादा निर्माण करा सकेंगे उद्यमी

- भू-आच्छादन व एफएआर को बढ़ाया तो सेटबैक को घटाया गया
- सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में किया संशोधन

**राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ:** अब कम जमीन पर उद्योगों के लिए कहीं ज्यादा निर्माण कराया जा सकेगा। उद्यमियों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन कर भू-आच्छादन व एफएआर को जहां बढ़ाया है वहीं सेटबैक को घटाया गया है। विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को निर्देश दिए गए हैं कि उपविधि के संबंधित संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के माध्यम से अपनाकर तत्काल लागू किया जाए।

आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव पी गुरूप्रसाद की ओर से उपविधि में संशोधन संबंधी जारी शासनादेश के मुताबिक अब सूक्ष्य, लघु व मध्यम उद्योग को 500 वर्गमीटर तक के किसी भी क्षेत्र में स्थित भूखंड पर स्थापित करने पर 20 प्रतिशत ज्यादा भू-आच्छादन अनुमन्य होगा। अब तक एक हजार वर्गमीटर तक के भूखंड के मामले में जहां 60 प्रतिशत ही भू-आच्छादन अनुमन्य था वहीं अब 500 वर्गमीटर तक 80 और 501 से एक हजार वर्गमीटर का भूखंड होने पर 75 प्रतिशत भू-आच्छादन अनुमन्य होगा। 10 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर 65 प्रतिशत भू-आच्छादन अब अनुमन्य होगा। पहले 12 हजार वर्गमीटर तक 60 व उससे अधिक पर 55 प्रतिशत ही अनुमन्य था। इसी तरह एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) में भी राहत दी गई है। पहले जहां एक से 1.5 तक एफएआर अनुमन्य था वहीं अब 10 हजार वर्गमीटर तक के भूखंड के मामले में दो और उससे बड़े भूखंड में 1.5 अनुमन्य होगा। फ्लैटेड फैक्ट्रीज के निर्माण में 2.5 से तीन तक एफएआर अनुमन्य किया गया है। सरकार ने 12.50 मीटर ऊंचाई वाले औद्योगिक भवनों के निर्माण में सेटबैक छोड़ने के मानकों में भी राहत दी है। अब भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर होने पर आगे तीन के बजाय दो मीटर ही सेटबैक छोड़ना होगा। 200 वर्ग मीटर होने पर आगे 4.5 के बजाय दो मीटर और पीछे व बगल में 1.5-1.5 मीटर के बजाय सिर्फ पीछे एक मीटर सेटबैक छोड़ना होगा। 1000 वर्ग मीटर का भूखंड होने पर आगे 7.5 के बजाय 4.5 मीटर और पीछे तीन मीटर ही सेटबैक छोड़ना होगा। एक साइट में तीन मीटर व दूसरी तरफ सेटबैक छोड़ने की अनिवार्यता नहीं रहेगी जबकि अब तक दोनों साइट में चार-चार मीटर का सेटबैक रखना होता था। 5000 वर्ग मीटर का भूखंड होने पर आगे नौ के बजाय छह मीटर ही सेटबैक छोड़ना होगा। 30 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर औद्योगिक भवन बनाए जाने पर अब आगे 15 और पीछे व अगल-बगल 9-9 मीटर सेटबैक नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब आगे 12 मीटर ही सेटबैक छोड़ना होगा। उद्यमियों को राहत देने के लिए किए गए रिफार्म से राज्य सरकार को केंद्र सरकार की योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।

## बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश से हथियार व गोला-बारूद का निर्यात

**राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ :** उत्तर प्रदेश से हथियार, गोला-बारूद के साथ-साथ हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान के पुर्जों के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2022-23 में हवाई जहाज व अंतरिक्ष यान के पुर्जों का निर्यात 58.52 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 299.21 करोड़ रुपये हो गया। वहीं इस अवधि में हथियार व गोला-बारूद का निर्यात भी 18.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 84.69 करोड़ रुपये हो गया है। आने वाले कुछ वर्षों में इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। रक्षा उपकरणों व हथियारों के निर्माण के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर के छह नोड आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ 154 से ज्यादा एमओयू हो चुके हैं। डिफेंस कारिडोर के लिए यूपीडा 1,600 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर चुका है। सात सौ हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है।